<u>आवश्यक</u>

<u>संख्या:22/2021/ 1363565/12-2099/86/2021</u>

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 25 मई, 2021

विषय: कृषकों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की व्यवस्था कराने, उर्वरकों के वितरण शतप्रतिशत पी0ओ0एस0 के माध्यम से तथा उर्वरक बिक्री उपरान्त कृषकों को कैश-मेमो/ पर्ची दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 33/2020/1866/12-2-2020-एफ.58/2008 दिनांक 15 सितम्बर, 2020, शासनादेश संख्या: 37/2020/1925/12-2-2020-एफ.58/2008 दिनांक 06 अक्टूबर, 2020, शासनादेश संख्या: 66/2020/2273/12-2-2020 दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 तथा शासनादेश संख्या: 03/2021/125/12-2-2020-एफ.58/2008 दिनांक 12 जनवरी, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कृषकों को सुमतापूर्वक निर्धारित दरों पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद स्तरीय समिति का गठन कर रसायनिक उर्वरकों के भण्डारण की व्यवस्था तथा उर्वरकों का वितरण, मांग एवं आपूर्ति का सही ढंग से सुनिश्चित कराते हुए प्राप्त/उपलब्ध समस्त प्रकार के उर्वरकों के आवंटन एवं वितरण की नियमित रूप से समीक्षा किए जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. आप अवगत हैं कि प्रदेश में खरीफ, 2021 की फसलों की बुवाई कार्य माह मई के मध्य से कृषकों द्वारा प्रारम्भ किया जाता है। बुवाई के समय नत्रजनिक के साथ-साथ फास्फेटिक उर्वरकों की आवश्यकता माह जून एवं जुलाई में अधिक होने के कारण मांग में वृद्धि होगी। तत्समय कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जानी है। फसल सीजन में प्रदेश के अन्तर्गत असामाजिक तत्वों द्वारा उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, अनुदानित उर्वरकों का प्रयोग, औद्योगिक इकाईयों में किए जाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय (इण्डो-नेपाल)/अन्तर्राज्यीय सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में उर्वरकों की तस्करी किए जाने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए सतत निगरानी/उर्वरक बिक्री केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण एवं उपलब्ध भौतिक सम्भार का सत्यापन किया जाना आवश्यक है। कृषकों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना शासन की प्राथमिकता है। अत: उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

(1) जनपद में आपूर्तित एवं उपलब्ध उर्वरकों का कृषकों के मध्य उनकी कृषि जोत, फसल के अनुसार एवं उनके आधार कार्ड के आधार पर वितरण सुनिश्चित कराया जाये। उर्वरकों की आपूर्ति, उपलब्धता एवं वितरण की जनपद स्तरीय समिति के द्वारा साप्ताहिक बैठक आयोजित कर नियमित रूप से समीक्षा की जाये एवं समीक्षा के दौरान संज्ञान में लाये गये प्रकरणों पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

(2) शासनादेश दिनांक 15 सितम्बर, 2020 में दिये गये निर्देशानुसार जनपद में उर्वरक के आवक होने पर विभिन्न फुटकर/रिटेल विक्रेताओं में वितरण जिलाधिकारी के नेतृत्व में सुनिश्चित कराया जाये।

(3) उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण हेतु कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित कर सघन रूप से छापे की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए। जहॉ पर कालाबाजारी/जमाखोरी अथवा निर्धारत विक्रय मूल्य से अधिक दरों में उर्वरकों की बिक्री की शिकायत प्राप्त हो या जिन-जिन क्षेत्रों में उर्वरकों की मांग अधिक है, वहॉ कृषकों की अधिक संख्या में आने की आशंका हो तो वहॉ क्षेत्रीय अधिकारियों की निगरानी में उर्वरकों का वितरण कराया जाए।

(4) फुटकर के साथ-साथ थोक विक्रेताओं एवं बफर स्टाकिस्टो के स्टाक का भी सघन निरीक्षण किया जाए। यह अवश्य देखा जाए कि कहीं थोक विक्रेता अपने पास उर्वरक का अनावश्यक भण्डारण स्थानीय स्तर पर कर कृत्रिम अभाव की स्थिति न उत्पन्न कर रहे हों। यदि ऐसे स्थिति पायी जाती है तो स्टाक को बाजार में कृषकों में बिक्री के लिए अवमुक्त किया जाए एवं संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही भी की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उर्वरक कम्पनी/थोक विक्रेता/फुटकर विक्रेता यूरिया उर्वरक के साथ जबरन अन्य उत्पादों की टैगिंग न कर रहे हों। ऐसे उत्पादों को कृषकों को खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए।

(5) समस्त उर्वरकों की बिक्री निजी क्षेत्र, सहकारिता एवं अन्य बिक्री केन्द्रों के द्वारा शतप्रतिशत पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से निर्धारित दर/मूल्य पर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायी जाये। पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री नहीं करने तथा क्रेता कृषकों को पी0ओ0एस0 मशीन से निकलने वाली पची नहीं देने वाले उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाए।

(6) एम0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर उर्वरकों की बिक्री हेतु एक्नालेजमेंट की व्यवस्था के दृष्टिगत उर्वरक निर्माताओं से थोक विक्रेता और थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेता तक उर्वरकों के एक्नॉलेजमेंट की व्यवस्था रियल टाइम की जाये, जिससे कृषकों को उर्वरक वितरण के साथ ही साथ डी0बी0टी0 प्रणाली के अन्तर्गत वास्तविक क्रेता का नाम दर्ज हो सके। भौतिक रूप से जैसे ही उर्वरक का मूवमेंट होता है, वैसे ही ऑन लाइन प्रणाली को भी अद्यावधिक करना सुनिश्चित कराया जाये और इसमें विलम्ब करने वाले थोक/फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

(7) प्रत्येक उर्वरक व्यवसायी के पास स्टाक पंजिका, विक्रय पंजिका तथा रसीद बुक का होना आवश्यक है। जनपद में थोक/फुटकर उर्वरक विक्रेताओं तथा उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर

उर्वरकों की उर्वरकवार बिक्री दर तथा स्टाक का अंकन रेट/स्टाक बोर्ड पर प्रतिदिन अंकित किया जाए।

(8) उर्वरक विक्रेताओं द्वारा अपने विक्रय केन्द्रों पर एक विक्रय रजिस्टर रखा जाये, जिसमें किसान का नाम, पिता का नाम, गांव, श्रेणी, कृषित भूमि, उर्वरक का नाम, मात्रा, प्राप्त धनराशि तथा कैश रसीद की संख्या एवं दिनांक का अंकन किया जाय, ताकि उर्वरक निरीक्षक के निरीक्षण के समय रजिस्टर से मिलान कर उर्वरक बिक्री का समय-समय पर सत्यापन सुनिश्चित किया जा सके।

(9) प्रत्येक माह टॉप-20 बायर्स/फ्रिक्वेन्ट बायर्स (क्रेता) की सूची एम0एफ0एम0एस0 पोर्टल से प्राप्त कर पूर्व में निर्गत आदेशानुसार सूची का परीक्षण करा लें तथा संदिग्ध प्रकरणों की टीम गठित करते हुए स्थलीय जांच कराकर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करायी जाये तथा भारत सरकार के संबंधित पोर्टल पर प्रत्येक माह सत्यापन रिपोर्ट अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(10) यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0के0, एम0ओ0पी0 एवं काम्प्लेक्स उर्वरकों की निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य के अन्तर्गत बिक्री सुनिश्चित करायी जाये। यदि कोई उर्वरक विक्रेता अधिकतम खुदरा मूल्य दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक बिक्री करता हुआ पाया जाये तो उसके विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 में निहित प्राविधानानुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

(11) भारत-नेपाल सीमावर्ती जनपदों में 05 कि0मी0 क्षेत्रान्तर्गत निजी क्षेत्र की उर्वरक बिक्री हेतु उर्वरक निबंधन प्रमाण पत्रों के निर्गमन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। यह सुनिश्चित किया जाए कि इस परिधि में निजी क्षेत्र का कोई उर्वरक विक्रय केन्द्र क्रियाशील न रहे। साथ ही इन जनपदों में अन्तराष्ट्रीय सीमा से अवैध परिसंचलन पर भी पुलिस एवं स्टेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एस0आई0बी0) के द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जाए एवं अवैध परिसंचलन को कठोरता से रोका जाए।

(12) जनपदों में डीलरों द्वारा उर्वरक स्टाक को एक जनपद से दूसरे जनपद के डीलर को विक्रय किया जाता है जिसके कारण उर्वरकों की शीर्ष मांग के समय जनपद में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता होते हुए भी कमी का सामना करना पडता है, वहीं दूसरी ओर राज्य स्तर से प्रत्येक माह जारी किए जाने वाले उर्वरक मूवमेंट प्लान के विपरीत उर्वरक आपूर्ति/विक्रय की कार्यवाही की जा रही है। जनपद हेतु जारी किए गए उर्वरक मूवमेंट प्लान के विपरीत किसी भी प्रकार के उर्वरकों का संचलन अनुचित है। इसका उल्लंघन करने वाले उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 तथा उर्वरक (परिसंचलन नियंत्रण), 1973 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।

(13) शासनादेश संख्या: 66/2020/2273/12-2-2020 दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 के द्वारा दिये गये विस्तृत निर्देशानुसार अनुदानित यूरिया के औद्योगिक या गैर कृषिगत कार्यो में सम्भावित उपयोग को रोकने हेतु टीम गठित कर समय-समय पर संबंधित औद्योगिक इकाईयों

पर छापे डालने की कार्यवाही की जाये तथा अनुदानित यूरिया का दुरूपयोग पाये जाने पर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(14) शासनादेश संख्या: 33/2020/1866/12-2-2020-एफ.58/2008 दिनांक 15 सितम्बर, 2020 के द्वारा सुगमतापूर्वक गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समिति गठित है। समिति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित कर जनपद में प्राप्त होने वाली उर्वरक की क्षेत्रीय कृषकों की वास्तविक माग के अनुसार निजी एवं सहकारी क्षेत्र के उर्वरक बिक्री केन्द्रों हेतु आवंटन किया जाये, जिससे जनपद के समस्त क्षेत्रों में मांग के अनुरूप सुगमतापूर्वक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:22/2021/1363565/(1)/12-2099/86/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
2. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रबंध निदेशक, पी0सी0एफ0/यू0पी0स्टेट एग्रो/गन्ना संघ/औद्यानिक संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त राज्य विपणन प्रबंधन/विपणन प्रबंधक, उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता संस्थायें, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।